डाक-तार विभाग के भवनों पर अनधिकृत कब्जा

2185. **चौधरी हरमोहन सिंह** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डाक और तार विभाग की कुछ भूमि और भवनों पर अनधिकृत कब्जा है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे अनधिकृत कब्जों की राज्य-वार संख्या कितनी-कितनी है;

(ग) ऐसे अनधिकृत कब्जों पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने क्या उपाय किए हैं; और

(घ) सरकार ने उन अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाही की है जो ऐसे अनधिकृत कब्जों को रोकने के लिए उत्तरदायी थे ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी. वी. रंगैया नायडू) : (क) से (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

उत्तर प्रदेश के जिलों में टेलीफोन सलाहकार समितियां

2186. **श्रीमती सत्या बहिन** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में कुल कितने टेलीफोन जिले हैं;

(ख) क्या सभी टेलीफोन जिलों के लिए टेलीफोन सलाहकार समितियां गठित की जा चुकी हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इन्हें कब तक गठित कर लिए जाने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी. वी. रंगैया नायडू) : (क) उत्तर प्रदेश में सात (7) टेलीफोन जिले हैं ।

(ख) जी हां ।

(ग) उपर्युक्त (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता ।

Complaints regarding Unauthorised Telephone connection

2187. SHRI SHIV PRATAP MISHRA : Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the unauthorised persons in connivance with the officials of the Department of Telecommunications get telephones connections sanctioned out of the way on payment of some money;

(b) if so, what are the details thereof;

(c) whether it is also a fact that Government have received complaints in this regard; and

(d) if so, what action has so far been taken thereon ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI P. V. RANGAYYA NAIDU) : (a) and (b) Yes, Sir. Some such malpractices had come to the notice of the Department of Telecommunications. In such cases, letters conveying sanction of the telephone connection had been forged by unsocial elements in connivance with Department staff.

(c) Yes, Sir. Such complaints were received.

(d) whenever such complaints are recived, they are investigated departmentally with the assistance of the CBI. Suitable disciplinary action is taken against Departmental officials involved. CBI authorities also file clases in the Courts against those involved.

टेलीफोन सलाहकार समिति के सदस्यों पर हुआ व्यय

2388. **श्री राम गोपाल यादव** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभाग की सेवार्थ जिला-स्तर पर टेलीफोन सलाहकार समितियों का गठन किस प्रकार से किया जाता है,

(ख) क्या यह भी सच है कि इनकी कोई उपयोगिता न होने के बावजूद इनका गठन किया गया है और मंत्रालय को इन पर भारी धनराशि व्यय करनी पड़ रही है,